न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 37/2019 अपील

1. बाबूलाल पिता हीरा गाडुलिया निवासी रेल्वे फाटक, रायला तहसील बनेडा
2. राजू पुत्र देवीलाल गाडुलिया निवासी रेल्वे फाटक रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाडा

– प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार, रायला प्रकरण संख्या 13/2018 कार्यवाही अन्तर्गत धारा– 91 एल.आर.एक्ट निर्णय दिनांकित 31.08.2018

उपस्थित –
1. श्री सुनील मण्डोवरा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषाक – प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.12.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार रायला प्रकरण सं. 13/2018 निर्णय दिनांक 31.08.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रायला, पटवार मण्डल रायला तहसील बनेडा की आराजी नम्बर 2368 किस्म भूमि गे. मु. सडक कुल रकबा 12.17 बीघा में रकबा 30 बाई 50 वर्गफीट पर अपीलार्थी बाबुलाल पिता हीरालाल व राजु पुत्र देवीलाल गाडोलिया लुहार निवासी रायला द्वारा सम्वत 2075 के दौरान अतिक्रमण कर कच्ची दिवार पर तिरपाल डालकर निवास कर रहे है, आदि पर प्रकरण धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 31.08.2018 को एकपक्षीय आदेश पारित किया कि अपीलार्थीगण ने राजकीय भूमि गे.मु. सडक पर अतिक्रमण कर कच्ची दीवार पर तिरपाल डालकर निवास कर रहे है। अतः प्रार्थीगण को अतिक्रमी करार देते हुए मौके से बेदखल किये जाने एवं सामग्री जब्त सरकार की जाकर निलाम किये जाने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया कि अपीलार्थी राजु गोडोलिया पेशी दिनांक 30.07.2018 को उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी बाबुलाल अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी राजु पिता देवीलाल ने पटवारी हल्का के अनुसार अपना अतिक्रमण होना स्वीकार किया, जबकि दिनांक 30.07.2018 को केवल राजु की अंगूठा निशानी है व पी.ओ. सा. अवकाश पर थे अपीलार्थी की ओर से कोई जवाब पेश नही हुआ न ही दिनांक 30.07.2018 को आदेशिका में अंकित है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का रिपोर्ट में अतिक्रमण होकर मानने में भारी भूल की है। अपीलार्थी 30

बाई 50 फीट की उक्त भूमि पर कनीराम पुत्र धुलीराम के वारिसान की सहमति से परमिशिव पजेशन के आधार पर काबिज हो करीब 30 से 35 वर्ष से निवास कर रहे है कि उक्त आबादी भूमि का विलेख सन् 1970 में कनिराम पुत्र धुलीराम चौधरी (जाट) ग्राम पंचायत रायला द्वारा नीलाम दिनांक 15.01.1970 को किया जाकर क्रेता की 55/– रूपये की उच्चतम बोली होने से स्वीकृत की गई व रसीद संख्या 95 दिनांक 17.01.2017 न्याय/विकास पंचायत रायला में राशि जमा की गई है और मौके पर भूखण्ड का नक्शा भी विक्रयपत्र के पुस्त पर तरतीब किया जाकर तत्कालीन सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर होकर कब्जा दिया गया व उसका बापी पट्टा संख्या 10 ग्राम पंचायत रायला द्वारा नियमानुसार जारी किया गया। पटवारी द्वारा पर्चा बनाने से पूर्व नियमों की पालना नहीं की न ही पटवारी ने किस दिनांक को मौका पर्चा बनाया तारीख भी अंकित नहीं है। पर्चा मौका में जमीन पीडब्ल्यूडी के नाम दर्ज सड़क पर अतिक्रमण कर रखा का पृष्ठांकन है, पीडब्ल्यूडी द्वारा कभी भी कोई नोटिस नही दिया गया। अपीलार्थीगण ग्राम पंचायत रायला द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 की भूमि पर काबिज है और इसी सरवेले में ग्राम पंचायत रायला द्वारा जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 29.11.1970 के संबंध में पंचायत द्वारा दिनांक 12.04.2012 को पट्टा जारी करने बाबत प्रमाणपत्र जारी किया है। उक्त भूमि का मालिक बापी पट्टेधारी को पक्षधार नहीं बनाया गया, न ही उसे नोटिस दिया गया इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना जवाब पेश करने हेतु व समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना आलौच्य आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त होने योग्य है। मौके की भूमि आबादी क्षेत्र में होने एवं उसके संबंध में करीब 40 वर्ष पूर्व बापी पट्टा जारी किया गया पट्टेधारी का कब्जा होने से अतिक्रमी नहीं कहा जा सकता है। अपीलार्थीगण बरसों से इस भूमि पर काबिज से इस भूमि पर काबिज होकर अपने परिवार सहित अपना भरण पोषण करते आ रहे उन्हें बेदखल कर दिया गया तो उनका परिवार बेघर हो जावेगा। अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत का अवसर भी नहीं दिया। अपीलार्थी अनपढ व्यक्ति है व कानून से अनभिज्ञ होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके व उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये अपीलार्थी अपने परिवार में कमा खाने वाले अकेले पुरूष व्यक्ति है और कमा खाने के लिए बाहर गांव चले थे और प्रकरण की पेशी पर उपस्थित नही हुए और उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हो गये जिसकी जानकारी अभी हाल ही में दिनांक 23.01.2019 को नायब तहसीलदार के यहां से अपीलार्थीगण को बेदखल करने हेतु मौके पर आए तब इसकी जानकारी परिवार की महिला सदस्यों ने अपीलार्थीगण को दी तब तुरंत ही अपीलार्थीगण ने आकर जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि बेदखली के आदेश जारी किये है जिस पर अपीलार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय में नकल हेतु आवेदन दिनांक 23.01.2019 को प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 30.01.2019 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर उसके पश्चात कानूनी सलाह ली गई जिसमें समय लगा वैसे तो निर्णय की जानकारी होते ही आदेश व पत्रावली की नकल प्राप्त करते ही बिना देरी के यह अपील पेश की जा रही है फिर भी अपील पेश करने में हुई देरी

दिनांक 31.08.2018 से दिनांक 04.02.2019 तक की अवधि को कन्डोन करने के लिए धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अपीलार्थीगण को निर्णय की जानकारी होते ही नकल का आवेदन दिनांक 29.01.2019 को प्रस्तुत किया व प्रमाणित प्रति दिनांक 30.01.2019 को प्राप्त हुई से अपील 30 दिन में अन्दर अवधि में पेश है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व आदेश अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में प्रकरण संख्या 06/2019 दिनांक 06.02.2019 से दर्ज की गयी। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 750 दिनांक 08.11.2019 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये उभयपक्षकारान् को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 20.11.2019 को देने हेतु व्यक्तिशः अधिवक्ताओं को सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी की जायदाद के हक हकूक प्रभावित हो रहे हैं। प्रकरण के समुचित निर्णय के लिए तथा सही तथ्य न्यायालय के समक्ष लाने के लिए प्रार्थी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा 50 बाई 55 फीट का भूखण्ड आराजी नम्बर 1091 मि. रकबा 04.17 बीघा में से क्रय किया हुआ है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी काबिज हैं एवं उक्त भूखण्ड के आगे अपीलाण्ट द्वारा नाजायज अतिक्रमण कर रखा है। जिससे प्रार्थी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है एवं प्रार्थी भी प्रभावित पक्षकार होकर उक्त प्रकरण में पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना न्याय हित में आवश्यक हैं। निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उक्त उनवान प्रकरण में पक्षकार के रूप में संयाजित किया जाने का आदेश किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 की प्रति अपीलाण्ट अधिवक्ता को दिलायी गयी। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र की बहस में बताया कि ग्राम रायला, पटवार मण्डल रायला तहसील बनेडा की आराजी नम्बर 2368 किस्म भूमि गे. मु. सडक में रकबा 30 बाई 50 वर्गफीट पर अपीलार्थी बाबुलाल पिता हीरालाल व राजु पुत्र देवीलाल गाडोलिया लुहार निवासी रायला द्वारा सम्वत 2075 के दौरान अतिक्रमण कर कच्ची दीवार पर तिरपाल डालकर निवास कर रहे है। उक्त आराजी से प्रार्थना पत्र के प्रार्थी का कोई हित प्रभावित स्पष्ट नहीं होता है। निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. को खारिज किया जावे।

प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का परीक्षण किया गया। जिस उपरान्त पाया गया कि ग्राम रायला, पटवार मण्डल रायला तहसील बनेडा की आराजी नम्बर 2368 किस्म भूमि गे. मु. सडक कुल रकबा 12.17 बीघा में रकबा 30 बाई 50 वर्गफीट पर अपीलार्थी बाबुलाल पिता हीरालाल व राजु पुत्र देवीलाल गाडोलिया लुहार निवासी

रायला द्वारा सम्वत 2075 के दौरान अतिक्रमण कर कच्ची दीवार पर तिरपाल डालकर निवास कर रहे है, जिसमें प्रार्थी का हक एवं हित स्पष्ट नहीं होने से प्रार्थी को इस प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. को खारिज किया जाता है।

प्रकरण में सर्वप्रथम अपील मेमों में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अपील प्रकरण में अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम रायला, पटवार मण्डल रायला तहसील बनेडा की आराजी नम्बर 2368 किस्म भूमि गे. मु. सडक कुल रकबा 12.17 बीघा में रकबा 30 बाई 50 वर्गफीट पर अपीलार्थी बाबुलाल पिता हीरालाल व राजु पुत्र देवीलाल गाडोलिया लुहार निवासी रायला द्वारा सम्वत 2075 के दौरान अतिक्रमण कर कच्ची दिवार पर तिरपाल डालकर निवास कर रहे है, आदि पर प्रकरण धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 31.08.2018 को एकपक्षीय आदेश पारित किया कि अपीलार्थीगण ने राजकीय भूमि गे.मु. सडक पर अतिक्रमण कर कच्ची दीवार पर तिरपाल डालकर निवास कर रहे है। अतः प्रार्थीगण को अतिक्रमी करार देते हुए मौके से बेदखल किये जाने एवं सामग्री जब्त सरकार की जाकर निलाम किये जाने के आदेश दिये गये। अपीलार्थी 30 बाई 50 फीट की उक्त भूमि पर कनीराम पुत्र धुलीराम के वारिसान की सहमति से परमिशिव पजेशन के आधार पर काबिज हो करीब 30 से 35 वर्ष से निवास कर रहे है कि उक्त आबादी भूमि का विलेख सन् 1970 में कनिराम पुत्र धुलीराम चौधरी (जाट) ग्राम पंचायत रायला द्वारा नीलाम दिनांक 15.01.1970 को किया जाकर क्रेता की 55/– रूपये की उच्चतम बोली होने से स्वीकृत की गई व रसीद संख्या 95 दिनांक 17.01.2017 न्याय/विकास पंचायत रायला में राशि जमा की गई है और मौके पर भूखण्ड का नक्शा भी विक्रयपत्र के पुस्त पर तरतीब किया जाकर तत्कालीन सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर होकर कब्जा दिया गया व उसका बापी पट्टा संख्या 10 ग्राम पंचायत रायला द्वारा नियमानुसार जारी किया गया। पटवारी द्वारा पर्चा बनाने से पूर्व नियमों की पालना नहीं की न ही पटवारी ने किस दिनांक को मौका पर्चा बनाया तारीख भी अंकित नहीं है। पर्चा मौका में जमीन पीडब्ल्यूडी के नाम दर्ज सड़क पर अतिक्रमण कर रखा का पृष्ठांकन है, पीडब्ल्यूडी द्वारा कभी भी कोई नोटिस नही दिया गया। अपीलाथीगण ग्राम पंचायत रायला द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 की भूमि पर काबिज है और इसी सरवेले में ग्राम पंचायत रायला द्वारा जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 29.11.1970 के संबंध में पंचायत द्वारा दिनांक 12.04.2012 को पट्टा जारी

करने बाबत प्रमाणपत्र जारी किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व आदेश अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम रायला, पटवार मण्डल रायला तहसील बनेडा की आराजी नम्बर 2368 किस्म भूमि गे. मु. सडक कुल रकबा 12.17 बीघा में रकबा 30 बाई 50 वर्गफीट पर अपीलार्थी बाबुलाल पिता हीरालाल व राजु पुत्र देवीलाल गाडोलिया लुहार निवासी रायला द्वारा सम्वत 2075 के दौरान अतिक्रमण कर कच्ची दिवार पर तिरपाल डालकर निवास कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रायला द्वारा दिनांक 31.08.2018 को पारित निर्णय अनुसार उक्त राजकीय भूमि गे.मु. सडक से अपीलार्थी को बेदखल करने के आदेश व सामग्री जब्त सरकार की जाकर निलाम किये जाने का आदेश दिया गया है, जो सही है। अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे ।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम रायला, पटवार मण्डल रायला तहसील बनेडा की आराजी नम्बर 2368 किस्म भूमि गे. मु. सडक कुल रकबा 12.17 बीघा में रकबा 30 बाई 50 वर्गफीट पर अपीलार्थी बाबुलाल पिता हीरालाल व राजु पुत्र देवीलाल गाडोलिया लुहार निवासी रायला द्वारा सम्वत 2075 के दौरान अतिक्रमण कर कच्ची दिवार पर तिरपाल डालकर निवास कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रायला द्वारा दिनांक 31.08.2018 को पारित निर्णय अनुसार उक्त राजकीय भूमि गे.मु. सडक से अपीलार्था को बेदखल करने के आदेश व सामग्री जब्त सरकार की जाकर निलाम किये जाने का आदेश दिया गया हैं, जो सही है। न्यायालय नायब तहसीलदार रायला के प्रकरण सं. 13/2018 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2019 विधि सम्मत हैं। सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बनेडा, अतिक्रमी द्वारा सडक पर किये गये अतिक्रमण को भौतिक रूप से हटाने हेतु विभागीय नियमों के परिपेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं । अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सिद्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 13/2018 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, रायला एवं सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बनेडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.12.20 18:59:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: